जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा

प्रधान कार्यालय, रामेश्वर रोड, खण्डवा (म.प्र.)
फोन 0733 - 2222733 फैक्स 0733- 2223863
E-mail- jskbkhandwa@gmail.com

"सर्व जन हिताय"

कं0 / लेखा / ब्याजदर / 2022 / 1314 दिनांक–23.06.2022

प्रति,

शाखा प्रबंधक,
शाखा.......................................(समस्त)

विषयः– **सावधि निक्षेपों की ब्याज दरों में संशोधन बाबत्।**
संदर्भः– कं0 / लेखा / ब्याजदर / 2022 / / दिनांक–13.04.2022

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र के माध्यम से सावधि अमानत की ब्याज दरों का निर्धारण किया गया था। अन्य व्यावसायिक बैंकों की ब्याज दरों को दृष्टिगत रखते हुये बैंक प्रशासकीय कमेटी की चलित बैठक दिं.–09.06.2022 के निर्णयानुसार सावधि निक्षेप की ब्याज दरों में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है।

1. सावधि निक्षेप की ब्याज दरें दि. 01.07.2022 से निम्नानुसार निर्धारित की जाती है–

कं	सावधि निक्षेप समयावधि	संशोधित ब्याज दर नियमानुसार न्यूनतम राशि से अधिकतम राशि तक
1	**15 दिन से 45 दिन तक**	**3.50%**
2	**46 दिन से 90 दिन तक**	**4.50%**
3	**91 दिन से 180 दिन तक**	**5.00%**
4	**181 दिन से 364 दिन तक**	**6.00%**
5	**01 वर्ष एवं 03 वर्ष से कम तक**	**6.50%**
6	**03 वर्ष एवं 10 वर्ष से कम तक**	**6.75%**
7	**रिवाल्विंग फण्ड, बेड डेट फण्ड, रिस्क फण्ड, स्पेशल बेड डेट फण्ड**	**7.00%**
8	**जमा अमानत कर्मचारी (CSD)**	**7.75%**
9	**कॉल डिपाजिट पैक्स (अन्य सहकारी संस्थाओं के लिये)**	**7.00%**

.2...

5 सहकारी संस्थाओं को सभी उपरोक्त दर से 1/2 % (आधा प्रतिशत) अधिक ब्याज दर देय होगी।

6 वरिष्ठ नागरिकों को बैंक के पूर्व परिपत्रों के अनुसार एक वर्ष से अधिक की नवीन मियादी जमाओं एवं अवधि समाप्त जमा राशियों के नवीनीकरण पर ही सामान्य प्रचलित सावधि निक्षेप ब्याज दर से 0.75 प्रतिशत अधिक ब्याज दर देय होगी।

7 बैंक कर्मचारियों की दशा में सावधि निक्षेप रसीद पर प्रथम नाम स्वयं का होने तथा संयुक्त रसीद में प्रथम नाम परिवार के सदस्य का एवं द्वितीय नाम कर्मचारी का होने पर एवं कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसकी पत्नी/पति को 1% (एक प्रतिशत) का लाभ दिया जावें। **साथ ही सीनियर सिटीजन एवं बैंक कर्मचारियों को 0.75% या 1% (एक प्रतिशत) दोनों में से कोई एक ही लाभ दिया जावें।** बैंक कर्मचारियों को निर्धारित दर से एक प्रतिशत अधिक ब्याज बैंक पत्र कं./लेखा/07/7977/दिनांक 13.03.2007 के निर्देशों के अनुरूप दिया जावें।

उपरोक्त संशोधित ब्याज दरें दिनांक–01.07.2022 से नई सावधि जमा राशियों एवं अवधि समाप्त जमा राशियों के नवीनीकरण पर ही लागू होगी। ब्याज दरों में किये गये परिवर्तन संबंधी सूचना शाखा के सूचना पटल पर लगाई जावें तथा शाखा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया जावे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
दिनांक–23.06.2022

क0/लेखा/ब्याजदर/2022/1314
प्रतिलिपिः–

1. कक्ष प्रमुख, कक्ष————————समस्त, प्र0का0, खण्डवा की ओर सूचनार्थ।
2. सीबीएस कक्ष प्रमुख की ओर आई.आर. डालने हेतु प्रेषित।

मुख्य लेखापाल